जोधपुर में कमर्शियल गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति रुकने से कई उद्योग संकट में

आपूर्ति रुकने से होटल, रेस्टोरेंट सहित इंडस्ट्री को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है

जोधपुर, (कासं)। ईरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध के चलते भारत में तेल, गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। इसके चलते जोधपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति रोक दी गई। इससे होटल, रेस्टोरेंट सहित इंडस्ट्री को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बुकिंग नहीं होने और केवाईसी नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की केवाईसी और बुकिंग करवाने के लिए एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लगी हुई है।

- घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बुकिंग नहीं होने और केवाईसी नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं
- घरेलू गैस सिलेंडर की केवाईसी और बुकिंग करवाने के लिए एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लगी हुई है

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में इंडियन गैस एजेंसी के संचालिका दीप्ति जैन ने बताया कि बुकिंग के लिए अब सभी उपभोक्ताओं की केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में बुकिंग के लिए सभी लोगों को पहले केवाईसी करवानी होगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल गैस सिलेंडर की आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है। सभी को सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है।

एजेंसी के कर्मचारी ने बताया कि पिछले तीन-चार दिन से गैस सिलेंडर की बुकिंग और केवाईसी के पोर्टल पर सर्वर डाउन होने की समस्या आ रही है, जिसके चलते उपभोक्ताओं और एजेंसी के कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय तक लाइन में लगने के चलते जहां उपभोक्ता में गुस्सा है और वे एजेंसी के कर्मचारियों से भी उलझ रहे हैं।

जोधाणा होटल्स एण्ड रेस्टोरेन्टस् सोसायटी ने जिला आपूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कमर्शियल गैस की सप्लाई से हो रही समस्याओं से अवगत करवाया। जोधाणा होटल्स एण्ड रेस्टोरेन्टस् सोसायटी के अध्यक्ष जे.एम. बूब और सचिव राजेश सिंघवी ने ज्ञापन में बताया कि जोधपुर शहर में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की अचानक कमी के कारण होटल, रेस्टोरेंट एवं मैरिज गार्डन उद्योग के समक्ष गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे शहर में अव्यवस्था एवं घबराहट की स्थिति बनने की संभावना है।

सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को निर्देशित किया है कि एलपीजी की आपूर्ति एवं विपणन केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही सुनिश्चित किया जाए। इन निर्देशों के अनुपालन में एलपीजी आपूर्ति करने वाली कंपनियां द्वारा होटल, रेस्टोरेंट एवं मैरिज गार्डन संचालकों को सूचित किया गया है कि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं होने तथा मंत्रालय के उपरोक्त निर्देशों के कारण वे फिलहाल वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति करने में असमर्थ हैं। ज्ञापन में बताया कि वाणिज्यिक उपयोग हेतु एलपीजी की आपूर्ति नहीं मिलने के कारण होटल, रेस्टोरेंट एवं मैरिज गार्डन उद्योग गहरे संकट में आ गया है तथा इन क्षेत्रों में हजारों कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है, जो इस संकट से गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। एलपीजी आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में होटल रसोई का संचालन संभव नहीं रहेगा, जिससे देशी एवं विदेशी पर्यटकों को भारी असुविधा होगी तथा होटलों को संचालन बंद करने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को सामान्यत: स्टाफ कैफेटेरिया में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

उदयपुर : कमर्शियल सिलेंडर के संकट से पर्यटन क्षेत्र प्रभावित

उदयपुर, (कासं)। अमेरिका-इजराइल और ईरान के तनाव के बाद गैस सिलेंडर को लेकर शुरू हुई मारामारी के बीच उदयपुर में गुरुवार से होटल और रेस्टोरेंट पर असर दिखने लगा है। यहां एक रेस्टोरेंट ने लंच और ब्रेक फॉस्ट बंद कर दिया है। इधर वीआईपी कॉलोनी में कॉमर्शियल सिलेंडर से अवैध रिफिलिंग का काम हो रहा था। डीएसओ की टीम ने छापा मारकर 6 सिलेंडर जब्त किए हैं।

गौरतलब है कि उदयपुर की ओल्ड सिटी में टूरिस्ट की परेशानियां बढ़ने लगी है। यहां पिछोला झील किनारे स्थित रेस्टोरेंट पर सीधे असर दिखने लगा है। यहां हनुमान घाट स्थित हनुमान होटल एंड रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर के संकट के चलते सुबह का लंच और ब्रेक फास्ट बंद कर दिया है। टॉप पर जो रेस्टोरेंट है वह लंच टाईम तक सूना पड़ा है। टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन उनको पूरे आग्रह के साथ समझा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन पहले हमने गैस की कमी को लेकर निर्णय किया और आजे से लंच और ब्रेक फॉस्ट बंद कर दिया है।

उदयपुर कलैक्टर नमित मेहता ने बताया कि कॉमर्शियल सिलेंडरों के अवैध उपयोग और रिफिलिंग के विरूद्ध सघन जांच कार्रवाई शुरू की।

अवैध रिफिलिंग की सूचना पर रसद विभाग की प्रवर्तन अधिकारी मानसी पण्ड्या, प्रवर्तन निरीक्षक डॉ. कोमल सिंह सोलंकी सहित टीम ने सविना स्थित वीआईपी कॉलोनी में आकस्मिक जांच की। इस दौरान व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के अवैध रिफिलिंग पर 6 व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए। जिला रसद अधिकारी ने बताया गया कि उक्त कार्रवाई में प्रकरण दर्ज किया जाकर जांच करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई

जालोर, (कासं)। पॉक्सो न्यायालय जालोर की विशिष्ट न्यायाधीश सीमा जुनेजा ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित के अनुसार पीड़िता की माता ने 18 सितंबर 2024 को पुलिस थाना आहोर में रिपोर्ट पेश कर बताया कि परिवादिया अपने पति, पुत्र व पुत्री के साथ करीब चार माह पूर्व मूर्ति बनाने के कार्य के लिए आंध्रप्रदेश गये थे। पीछे घर पर अन्य तीन पुत्रियां पीड़िता को दादा-दादी, बड़े पापा के पास छोड गए थे। उनके देशावर जाने के कुछ दिन बाद परिवादिया की नाबालिग पुत्री पीड़िता जिसकी उम्र14 वर्ष है, अपनी छोटी बहिन के लिए रोटी लेने अपने बड़े पापा के घर गई, जहां पर लड़का विक्रम कुमार पुत्र रमेश कुमार घर पर था, अन्य कोई नहीं था। जैसे ही पीड़िता रोटी लेने लगी तो विक्रम ने पीड़िता से बलात्कार किया। पीड़िता चिल्लाई तो बड़े पापा व बड़ी मम्मी आई तो उनको बात बताई। इतने में विक्रम वहां से भाग गया। इसके बाद लगातार घर पर कोई नहीं होने पर जबरन अनाधिकृत रूप से घर में आकर जबरन दुष्कर्म करता, उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना आहोर मे पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय मे पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षो की बहस सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पोक्सो न्यायालय की न्यायाधीश सीमा जुनेजा ने आरोपी विक्रम को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी मानते हुए बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने की।

नौ किलो अवैध गांजा पकड़ा

टोंक, (निसं)। अति. पुलिस अधीक्षक कमल प्रसाद के निर्देशन में जिला स्पेशल टीम प्रभारी ओमप्रकाश के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा बुधवार देर रात्रि को पुलिस थाना नगरफोर्ट क्षैत्र के बालागढ़ सतवाडा गांव में छापामार कर आरोपी जंसी मीणा पुत्र छोटू लाल मीणा निवासी बालागढ़ के मकान से उसकी मोटरसाइकिल से करीबन नौ किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है।

इस दौरान आरोपी मौके से फरार था। आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना नगर फोर्ट पर एनडीपीएस में प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है। डीएसटी ने बताया कि आरोपी काफी समय से घाड़, नगरफोर्ट, दूनी व नैनवा इलाके में गांजे की सप्लाई करता था। सूचना के बाद टीम ने मौके से एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, करीबन 4.30 लाख रुपए कीमत का करीबन 9 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, एक पल्सर मोटरसाइकिल, आरोपी का भी मोबाइल जब्त किया गया है।

कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, धौलपुर

File No:- 1037 Date:-05-03-2026

Notice Inviting Bid

Bids For Procurement of Development Drinking Water Facility work (Name (s) Of Subject Matter (s) Of Procurement) Are Invited From Interested Bidders Upto 06-00 P.M. (Time) 16-03-2026 (Date). Other Particulars Of The Bid May Be Visited on the procurement portal the (http://eproc.rajasthan.gov.in, http:sppp.raj.nic.in) of state; and www.wcd.rajasthan.gov.in department website. The approximate valu of the procurement is Rs 54.40 LAKH.

UBN NO.ICD2526WSOB02029
NIB NO.ICD2526A1502

(Bhoopesh Garg)
Deputy Director
Women and Chiid Development Department
Dholpur (Raj)

DIPR/C/4959/2026

राजस्थान सरकार
कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, प्रिंस बिजय सिंह मेमोरियल (पी.बी.एम.) सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर

क्रमांक:-ए.जी.एच./ लेखा (क्रय)/2026/8352 दिनांक :- 11/03/2026

ई-बोली आमंत्रण सूचना (E-NIB No. 23/2025-26)

पी.बी.एम. चिकित्सालय में विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रिक आईटम क्रय (2 वर्ष) हेतु आमंत्रित निविदा (दोहरी बिड पद्धति) में इच्छुक बोलीदाता दिनांक 12.02.2026 से 16.03.2026 सांय 05:00 बजे तक निविदा डाउनलोड/अपलोड कर सकते है। बोली आमंत्रण सूचना की महत्वपूर्ण शर्ते व पूर्ण विवरण "http://eproc.rajasthan.gov.in" तथा "http://sppp.rajasthan.gov.in" पर देखी जा सकती है। ई-बोली की कुल अनुमानित लागत 70 लाख है।

UBN NO. :-MCB2526GLRC00304

चिकित्सा अधीक्षक
प्रिंस बिजय सिंह मेमोरियल (पी.बी.एम.)
सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर

DIPR/C/5327/2026

कार्यालय उप निदेशक, उद्यान, आम उत्कृष्टता केन्द्र, खेमरी (धौलपुर)

निविदा सूचना

आम उत्कृष्टता केन्द्र, खेमरी (धौलपुर) पर विभिन्न कार्यों हेतु निविदा आंमत्रित की जा रही है। निविदा सम्बन्धित सूचना, विवरण, शर्ते व प्रपत्र आदि पोर्टल Eproc.rajasthan.gov.in & sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

UBN No.-HOR2526SLRC000221 & HOR2526WSOB00223, Tender ID-2026_HORTI_543885_1

(कृष्ण कुमार)
उप निदेशक उद्यान
आम उत्कृष्टता केन्द्र, खेमरी

DIPR/C/5105/2026

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.,खण्ड धौलपुर

क्रमांक:-7260-7267 **संशोधन - पत्र** दिनांक:- 10.02.2026

आर.ओ. नं0 1231 दिनांक 23.01.2026

इस कार्यालय के पत्रांक 6911-27 दिनांक 16.01.2026 के द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या 15/2025-26, जो दिनांक 21.01.2026 से 10.02.2026 सांय 6.00 बजे तक बेची जाकर दिनांक 11.02.2026 को खोली जाने वाली निविदा अपरिहार्य कारणों से अब दिनांक 17.02.2026 तक बेची जाकर दिनांक 18.02.2026 को सांय 04.00 बजे खोली जावेगी। निविदा की अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

NIB Code PWD2526A5223
UBN No. PWD2526WSOB21232

(नरेश चन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड धौलपुर

DIPR/C/3142/2026

बॉर्डर एरिया में जमीनों की खरीद-फरोख्त का मामला एक बार फिर सुर्खियों में

बीकानेर, (निसं)। भारत-पाक सीमा के प्रतिबंधित इलाकों में जमीनों की खरीद-फरोख्त का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। पूगल क्षेत्र में 7.58 हेक्टेयर यानी करीब 30 बीघा कृषि भूमि की रजिस्ट्री को कोर्ट ने रद्द करने के आदेश दिए हैं। ऐसे कुल 53 मामले बीकानेर की विभिन्न सिविल की अदालतों में चल रहे हैं। अधिकांश में कमजोर पैरवी के चलते सरकार हार गई। अब धीरे-धीरे सभी मामले री स्टोर किए जा रहे हैं।

- बाहरी लोगों को बेची थी 1300 बीघा से ज्यादा जमीन, अदालतों में 53 केस दर्ज

बॉर्डर पर जमीनें बिकने का मामला वर्ष 2006 में उजागर हुआ था। हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों के लोगों ने 1300 बीघा से अधिक जमीन की खरीद-फरोख्त की थी। उप पंजीयकों ने आंखें बंद करके रजिस्ट्रियां कर दीं, जबकि नोटिफाइड एरिया में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश तक नहीं किया जा सकता। क्रेताओं के पास प्रवेश की वैध अनुमति ही नहीं थी। बिना अनुमति बॉर्डर के प्रतिबंधित एरिया में प्रवेश कर जमीनें खरीदने को गलत माना गया। राजस्व विभाग के आदेश पर सिविल न्यायालयों में उप पंजीयक, आईजी स्टाम्प, अजमेर और राज्य के वित्त विभाग की ओर से वाद दायर कराए गए। अदालतों जवाब पेश करने के लिए उप पंजीयकों को प्रभारी अधिकारी बनाया गया, लेकिन समय पर उपस्थित नहीं होने और साक्ष्य पेश नहीं करने पर ज्यादातर मामलों में सरकार हार गई। अदालतों में फाइलें खारिज कर दी गईं। अब ये मामले वापस रिकॉर्ड पर लेकर री स्टोर किए जा रहे हैं। इनमें से तीन-चार मुकदमे हाईकोर्ट में चल रहे हैं। लंबे समय बाद पूगल में जमीन की खरीद-फरोख्त का मामला सरकार के पक्ष में आया है।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बीकानेर के पाकिस्तान सीमा से सटे बीकानेर-छत्तरगढ़ तहसील के कुछ गांव, बज्जू, पूगल और खाजूवाला क्षेत्रों की सीमा से सटी जमीन को नोटिफाइड एरिया घोषित किया हुआ है। यहां पर बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी है। सीमावर्ती क्षेत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण ना केवल संपत्ति अंतरण के लिए बल्कि अन्य प्रयोजन से प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों/वाहनों के प्रवेश अनुमति एवं मूवमेंट्स का रिकॉर्ड संधारण आवश्यक है। जहां तक संपति अंतरण यानि खरीद फरोख्त के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में निर्णय सरकार के खिलाफ होने का प्रश्न है, मेरी दृष्टि में इसका एक कारण राजकीय अभिभाषकों पर अत्यधिक वर्क लोड है। बारीक विभेद के मामलों में संदेह का लाभ परिवादी को मिलने की संभावना अधिक होती है। पूरे मामले में विभाग की ओर से नियुक्त प्रभारी अधिकारी की सजगता भी निर्णायक होती है उन्हें हर पेशी में कोर्ट में उपस्थित होकर साक्ष्य पेश करने चाहिए, जिससे सरकारी वकील भी मजबूती से पैरवी कर सके।

जमीन विवाद में महिला हैड कांस्टेबल पर बंदूक तानी

बीकानेर, (निसं)। उदासर स्थित ट्रायो नगर में जमीन विवाद में महिला हैड कांस्टेबल पर बंदूक तानने और उससे मारपीट का प्रयास करने का मामला सामने आया है। व्यास कॉलोनी थाना पुलिस मामले की जांच करेगी।

- महिला हेड कांस्टेबल व उसके साथ गए दो-तीन अन्य लोगों को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा था, पुलिस थाने में मामला दर्ज

तिलक नगर निवासी महिला हैड कांस्टेबल सुनीता जाट की ओर से व्यास कॉलोनी पुलिस थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि उसने वर्ष-2008 में रामप्रसाद शर्मा से जरिये बयनामा उदासर के ट्रायो नगर में प्लॉट खरीदा था। वहां अन्य लोगों ने भी प्लॉट ले रखे हैं। ट्रायो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कॉलोनी काटी थी, जिसका निदेशक अनिल पारीक है। 6 मार्च को वह अपने प्लॉट पर गई तो दीवार टूटी थी। अनिल कुमार ने कुलदीप उर्फ हेमसिंह, रामेश्वरसिंह व अन्य के साथ मिलकर बिरजू बावरी व उसके परिवार को प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से बैठा दिया था। उन्हें दीवार तोड़ने और ईंटें चोरी करने की शिकायत की तो बिरजू व उसके परिवार के लोगों ने मारपीट की कोशिश की और वर्दी फाड़ दी। हेमसिंह, अनिल व रामेश्वरसिंह को बुला लिया। कुलदीप उर्फ हेमसिंह ने बंदूक तान दी। महिला हेड कांस्टेबल व उसके साथ गए दो-तीन अन्य लोगों को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। व्यास कॉलोनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच एसएचओ विक्रम तिवाड़ी करेंगे।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PHED DIVISION KARAULI

PH NO.-07464-250219 E-Mail-ee.kar.phed@rajasthan.gov.in

Notice Inviting Bid

Bids for transportation of water through tanker under Division Karauli are invited from interested bidders up to 09.03.2026 other Particulars of the bid may be visited on the procurement portal eproc.rajasthan.gov.in and sppp.raj.nic.in website.

NIB CODE:-PHE2526A6919

S.N.	NIT NO.	UBN	S.N.	NIT NO.	UBN
1	169/2025-26	PHE2526 WSOB14946	2	170/2025-26	PHE2526 WSOB14947
01	Total work		02		
02	Total Estimate Cost		40.00 Lac		
03	Bid submission end date		09.03.2026 up to 12.00 PM		
04	Bid opening date		09.03.2026 at 04.00 PM		

(Vijay Kumar Meena)
Executive Engineer
PHED Division Karauli

DIPR/C/4910/2026

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा.अभि. विभाग खण्ड सॉचौर

एन.एच. 68, PHED Campus, सॉचौर (जालोर)

Te. Pho. No 02979-283624 E-mail.: eephedscr@gmail.com

क्रमांकः अ.अ./ जन स्वा./ सॉं / निविदा/2025-26/1757 दिनांकः- 05/03/02

निविदा सुचना संख्या - 18/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से खण्ड सॉचौर के अधीन विभिन्न कार्य कराने हेतु लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से ई-टेण्डरिंग प्रकिया में ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

कार्यालय का नाम व स्थान	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग खण्ड सांचौर
निविदा का कार्य	Annual Rate contract for Transportation of water.(Block Sanchore and Chitalawa)
निविदा की कुल लागत (राशि लाखो में)	कुल निविदा 19 रु. 250.00 लाख
निविदा प्रपत्र वेबसाईड पर उपलब्ध एवं ऑन लाईन सबमिट की दिनांक	05.03.2026 से 18.03.2026 को 13.00 बजे तक
निविदाएँ खोलने की तिथी व समय	19.03.2026 को 15.00 बजे से
UBN No	PHE2526WSRC15210, PHE2526WSRC15211, PHE2526WSRC15212 PHE2526WSRC15213, PHE2526WSRC15214, PHE2526WSRC15215 PHE2526WSRC15216, PHE2526WSRC15217, PHE2526WSRC15218 PHE2526WSRC15219, PHE2526WSRC15220, PHE2526WSRC15221 PHE2526WSRC15222, PHE2526WSRC15223, PHE2526WSRC15224 PHE2526WSRC15225, PHE2526WSRC15226, PHE2526WSRC15227 PHE2526WSRC15228

निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://dipr.rajasthan.gov.in http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा एवं भरा जा सकता है। शुद्धि पत्र केवल वेबसाईड पर ही अपलोड किये जायेगे।

(पृथ्वीसिंह) अधिशाषी अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, खण्ड सॉचौर

DIPR/C/5001/2026

युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

डूंगरपुर, (निसं)। दोवडा थाना क्षेत्र के मोदरा गांव में एक युवक ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार मोदरा गांव निवासी विजयपाल अहारी ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार, उनका बेटा विनोद अहारी कुछ समय से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। गुरुवार को विनोद घर के अंदर सोया हुआ थाए तभी उसने अज्ञात कारणों से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलते ही दोवडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवायाए जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

फायरिंग की घटना का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

छह अवैध पिस्टल , 11 मैग्जीन बरामद, अन्य आरोपियों की तलाश जारी

जोधपुर, (कासं)। कमिश्नरेट के जिला पश्चिम चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना क्षेत्र के पाल रोड स्थित मंगलदीप कॉम्प्लैक्स में फायरिंग की घटना का पुलिस ने गुरूवार को खुलासा करते हुए संगठित अपराध से जुड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने छह अवैध पिस्टल और 11 मैंगजीन बरामद किये हैं। प्रकरण से जुड़े अन्य लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। मामले में दो लोगों का अस्पताल में उपचार जारी है। एक को अभी होश आना बाकी है। पुलिस की तरफ से हत्या प्रयास एवं आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस आयुक्त शरत कविराज, पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार बंसल, डीसीपी ईस्ट पीडी. नित्या के निर्देशानुसार व एवं एडीसीपी वेस्ट रोशन मीणा धन्नाराम की त्वरित अनुसंधान निष्पादन टीम व एसीपी प्रतापनगर रविन्द्र बोथरा, एसीपी पश्चिम छवि शर्मा के सुपरविजन में चौहाबोर्ड थानाधिकारी सुरेश चौधरी के नेतृत्व में मंगलदीप कॉम्प्लेक्स में फायरिंग की घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरन्त खुलासे के लिए अलग-अलग टीमे गठित की गई।

मामले के अनुसार पाल रोड स्थित मंगलदीप कॉम्प्लैक्स के फ्लैट नं. 402 में फायरिंग की सूचना मिली थी। फ्लैट में छोटू सिंह पुत्र माधुसिंह निवासी सोलंकिया तला देवराजगढ़ व अनिल पुत्र जीवनराम निवासी रावत नगर भदवासिया के अंदर मण्डोर रोड तथा देवेन्द्र उर्फ मनसा उर्फ मन्नु पुत्र भंवर सिंह निवासी जालम विलास पावटा जोधपुर के बीच में फायरिंग होने से छोटू सिंह घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती था। अनिल को एम्स अस्पताल आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने के एएसआई अनिल कुमार की तरफ से मामला दर्ज कराया गया। मौके पर पुलिस ने एफएसएल और एमओबी को भी बुलाया था।

फायरिंग की इस घटना को देखते हुए घटनास्थल पर सीएसटी, डीएसटी पश्चिम व डीएसटी पूर्व, थानाधिकारी बोरानाडा, बासनी, शास्त्रीनगर, कुड़ी भगतासनी व माता का थान आदि को लगाया गया। पुलिस की टीमों ने 10-12 जगह दबिश दी। पुलिस ने अब संगठित अपराध से जुड़े आरोपी भावण्डा नागौर हाल ओमनगर माता का थान निवासी देवेन्द्र सिंह उर्फ मनसा पुत्र भंवरसिंह को जालोर जिले के आहोर से दस्तयाब किया है। आरोपी की निशादेही पर 6 अवैध पिस्टल मय 11 मैग्जीन बरामद किए गए। संगठित अपराध से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है।

पुलिस की अब तक की जांच में पता लगा कि घायल छोटू सिंह गैस पाइपलाइन पर किसी ठेका कंपनी पर कार्य करता है। अनिल और गिरफ्तार आरोपी देवेंद्र सिंह सीजिंग के कार्य से जुड़े है।

फायरिंग का कारण अब तक पहेली : पुलिस के लिए फायरिंग का कारण अब तक पहेली बना हुआ है। फायरिंग किस बात को लेकर हुई इस पर पुलिस ने अब तक चुप्पी साध रखी है। कोई पुराना विवाद होने का भी संदेह जताया जाता है। घायल अनिल के होश में आने पर आगे खुलासे की उम्मीद है।

सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत

उदयपुर, (कासं)। शहर के प्रतापनगर थाना क्षैत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार रात में प्रतापनगर थाना क्षैत्र प्रताप नगर से डबोक रोड़ पर अज्ञात वाहन की टक्कर से कुचला जाने पर

- अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी

माछला मगरा सेक्टर 14 निवासी दिपकसिंह (32) पुत्र सरदारसिंह राणावत की मौत हो गई। दीपक प्राईवेट नौकरी करता था एवं रात में बाइक पर अपने साथियों के साथ जा रहा था, जहां से अचानक प्रतापनगर डबोक रोड़ की तरफ जाते समय हादसा हो गया। सूचना मिलने पर हैड कांस्टैबल नरेन्द्रसिंह ने मौके पर पहुंचकर उसे चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर हैड कांस्टेबल नवलसिंह ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया।

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-फागी

बीसलपुर परियोजना कैम्पस के पास, फागी समेलिया रोड, फागी, जयपुर
ई-मेल xenpwdphagi@rediffmail.com, Phone No. 01430-299106

क्रमांक :- स्था. / खण्ड/फागी/2025-26/डी-889 दिनांक :-09.03.2026

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 29/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिये उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के विभिन्न श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्य हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावेगी। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट http://dipr.rajasthan.gov.in/tenders.asp व www.sppp.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT NOTIFICATION Jaipur, October 22, 2021 (75A. Additional Performance Security.- (1) In addition to Performance Security as specified in rule 75, an Additional Performance Security shall also be taken from the successful bidder in case of unbalanced bid. The Additional Performance Security shall be equal to fifty percent of Unbalanced Bid Amount. The Additional Performance Security shall be deposited in lump sum by the successful bidder before execution of Agreement. The Additional Performance Security shall be deposited through e-Grass, Demand Draft, Banker's Cheque, Government Securities or Bank Guarantee.)

निविदा का कार्य	Special Repair to Road Work under PWD Dn. Phagi, Jaipur (8 Nos)
कुल राशि (रूपयों में)	261.50 लाख
कुल धरोहर राशि (रूपयों में)	अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत / 0.50 प्रतिशत
निविदा आवेदन / डाउनलोड़ करने की तारीख	मंगलवार, 10 मार्च, 2026 अपराहन 3.00 बजे से शनिवार, 14 मार्च, 2026 सायंः 6.00 बजे तक
निविदा जमा कराने की तारीख	मंगलवार, 10 मार्च, 2026 अपराहन 3.00 बजे से शनिवार, 14 मार्च, 2026 सायंः 6.00 बजे तक
निविदा खोलने की तारीख	सोमवार, 16 मार्च, 2026 को प्रातः 11.00 बजे
प्रोसेसिंग शुल्क एवं निविदा शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया	वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र प.6 (5) / वित्त/साविलेनि/ 2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ई ग्रास पर आनलाईन के माध्यम से चालान द्वारा (परिपत्र संलग्न) 1. प्रोसेसिंग शुल्क 8658-00-102-16-02 निर्माण विभाग 2. निविदा शुल्क 0075-00-800-52-01 3. धरोहर राशि 8443-00-108-00-00 ऑफिस आई.डी. 42219

UBN No: (1) PWD2526WSOB25305, (2) PWD2526WSOB25306, (3) PWD2526WSOB25308, (4) PWD2526WSOB25309, (5) PWD2526WSOB25310, (6) PWD2526WSOB25311, (7) PWD2526WSOB25312, (8) PWD2526WSOB25313
NIB No.: PWD2526A6074

(संदीप टाटीवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-फागी (जयपुर)

DIPR/C/5293/2026

बाघिन एसटी-17 ने तीन शावकों को जन्म दिया

बाघीन एसटी-17 इससे पूर्व भी शावकों को जन्म दे चुकी है

अलवर, (निसं)। बाघिन एसटी-17 ने तीन शावकों को जन्म दिया है। इससे सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है।

डीएफओ सरिस्का अभिमन्यु सहारण ने बताया कि बाघिन एसटी-17 ने तीन शावकों को जन्म दिया है। सरिस्का बाघ परियोजना के रेंज अकबरपुर क्षेत्र में कैमरा ट्रैप चित्रों एवं भू गश्त के आधार पर इन शावकों की पुष्टि की गई है। बाघिन एसटी-17 के साथ तीनों शावक कैमरा ट्रैप में स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं तथा बाघिन व शावकों की गतिविधि सामान्य पाई गई है। संबंधित बाघ मॉनिटरिंग दल को बाघिन एवं उसके शावकों की गतिविधियों पर निरन्तर निगरानी रखने के निर्देश दिये गए हैं। उल्लेखनीय है कि बाघीन एसटी-17 इससे पूर्व भी शावकों को जन्म दे चुकी है तथा यह उसकी दूसरी सफल प्रजनन घटना है। इन तीन नवजात शावकों के जन्म के साथ सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों की संख्या में और वृद्धि हुई है।

हरलाल सहारण फर्जी टीसी प्रकरण की सुनवाई आज

सरदारशहर एसीजेएम कोर्ट में प्रकरण को लेकर सुनावाई होगी

चूरू, (कासं)। विधायक हरलाल सहारण फर्जी टीसी प्रकरण की सुनवाई शुक्रवार को होगी। चूरू विधायक हरलाल सहारण पर दसवीं की फर्जी मार्कशीट को लेकर जिला परिषद का चुनाव लड़ने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। वर्ष 2019 में पूर्व सरपंच चिमनाराम कालेर ने हरलाल सहारण पर उत्तराखंड माध्यमिक बोर्ड से फर्जी दसवीं की अंकतालिका लेकर चुनाव लड़ने का मामला दर्ज करवाया था, जो वर्तमान में सरदारशहर एसीजेएम कोर्ट में विचाराधीन है।

- चूरू विधायक हरलाल सहारण पर दसवीं की फर्जी मार्कशीट को लेकर जिला परिषद का चुनाव लड़ने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है

जानकारी के अनुसार उक्त मामले में उत्तराखंड माध्यमिक बोर्ड के वर्तमान सचिव व पूर्व में रहे सचिव की गवाही होनी थी लेकिन वे न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुए, जिसके पश्चात एसीजेएम नवदीप गोदारा ने उक्त दोनों के खिलाफ पहले जमानती वारंट तथा उसके बाद गिरफ्तारी वारंट के जरिए न्यायालय में हाजिर होने के लिए आदेश जारी किया बताया, जिसमें चूरू कोतवाली में कार्यरत एसआई किशनाराम बिश्नोई व एएसआई मनोज कुमार श्योराण न्यायालय के आदेश की अनुपालना के लिए उत्तराखंड गए बताए, लेकिन आदेशों की अनुपालना करवाने में असमर्थ सिद्ध हुए। न्यायालय द्वारा दो बार जमानती वारंट व गिरफ्तारी वारंट जारी करने के पश्चात भी उत्तराखंड बोर्ड के सचिव व पूर्व सचिव का न्यायालय में उपस्थित ना होना आश्चर्य की बात है। शुक्रवार को सरदारशहर एसीजेएम कोर्ट में इस प्रकरण को लेकर सुनावाई होगी।